अनुदान संख्या 51 - पुलिस
GRANT No. 51 - POLICE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
मूल	*Original*	*7,69,00*		*12,50,00*	*8,79,89*	*-3,70,11*
पूरक	*Supplementary*	*4,81,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	117774,96,00		118214,07,00	116142,83,40	-2071,23,60
पूरक	Supplementary	439,11,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					317,32,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
मूल	*Original*	*5,57,00*		*6,47,00*	*1,08,30*	*-5,38,70*
पूरक	*Supplementary*	*90,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	11839,30,00		11839,32,00	9857,77,87	-1981,54,13
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1448,44,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में समग्र बचतें (*₹370.11 लाख*) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त की गई *₹481.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 77 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 30 प्रतिशत थी।

बचतें निम्नानुसार हैंः–

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹65.00 लाख* का पुनर्विनियोग पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (₹207123.60 लाख) दिसबंर, 2023 और फरवरी 2024 में प्राप्त की गई ₹43911.00 लाख की पूरक अनुदान से अधिक थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged portion* of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹370.11 lakhs*) constituted 77 percent of the supplementary *appropriation* of *₹481.00 lakhs* obtained in December, 2023 and February, 2024 and 30 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings occurred as under: -

(I) *Appropriation* of *₹65.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹207123.60 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹43911.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	11318079.00			
पू.	S.	43909.00	11401370.00	11328438.96	-72931.04
पु.	R.	39382.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	347039.00			
पू.	S.	1.00	227169.00	149681.99	-77487.01
पु.	R.	-119871.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	112378.00			
पू.	S.	1.00	161136.00	136162.45	-24973.55
पु.	R.	48757.00			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹12131.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹11398.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹12131.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹11398.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "सीमा – प्रबंधन – तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान" – ₹6138.00 लाख– राज्यों और अन्य एजेंसियों से कम संख्या में दावों के प्राप्त होने और अनुदानग्राही निकायों के पास अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने के कारण।

(A) Major Head "2055" - "Border Management - Grants to Union Territories without Legislature under Coastal Security Scheme" - ₹6138.00 lakhs - due to receipt of less claims received from States and other agencies and availability of unspent balance with the grantee bodies.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता" – ₹1541.00 लाख; और

(B) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to State - Special Assistance - Grants to State Governments under Coastal Security Scheme- ₹1541.00 lakhs; and

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/ हिस्सा – सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹3719.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2055" – "केंद्रीय रिजर्व पुलिस – स्थापना" के अंतर्गत – ₹3115844.00 लाख का मूल प्रावधान ₹11758.05 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3127602.05 लाख तक बढा दिया गया। तथापि, नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के द्वारा देरी से कार्यभार ग्रहण करने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने/कम संख्या में कार्मिकों की भर्ती होने के कारण ₹71888.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2055" – "अनुसंधान – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों" के अंतर्गत – ₹4289.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹676.01 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4965.01 लाख तक बढ़ाया गया जो, तथापि कम संख्या में चिकित्सा दावों के प्राप्त होने, कम संख्या में दौरों को किए जाने और वाहनों की कम आवाजाही और कम विद्युत कार्यों के कारण ₹225.75 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹963.48 लाख की बचत (₹4098.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भर्ती प्रक्रिया/नए पदधारियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में विलंब होने और कम संख्या में व्यावसायिकों के काम पर लिए जाने के कारण हुई।

(ख) "आसूचना ब्यूरो" – ₹23362.83 लाख की बचत (₹0.01 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹316295.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भर्ती प्रक्रिया/नए पदधारियों के द्वारा कार्यभार

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share- Border Area Development Programme" - ₹3719.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to receipt of less claims from States/Union Territories.

(II) Under Major Head "2055" - "Central Reserve Police - Establishment" - the original provision of ₹3115844.00 lakhs was augmented to ₹3127602.05 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11758.05 lakhs. However, there was a saving of ₹71888.00 lakhs (including supplementary grant) - due to late joining of newly recruited officials, non-filling up of vacant posts/less recruitment of personnel.

(III) Under Major Head "2055" - "Research - Bureau of Police Research & Development" - the original provision of ₹4289.00 lakhs was augmented to ₹4965.01 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹676.01 lakhs which, however, remained unutilized to the extent ₹225.75 lakhs - due to receipt of less medical claims, less tours undertaken, movement of vehicles and less electrical works.

(IV) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction & Administration" -

(a) "National Intelligence Grid" - saving of ₹963.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4098.00 lakhs) was due to delay in recruitment process/joining of new incumbents and hiring of less professionals.

(b) "Intelligence Bureau" - saving of ₹23362.83 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹316295.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due

ग्रहण करने में विलंब होने के कारण हुई।

to delay in recruitment process/joining of new incumbents.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹1239.37 लाख की बचत (₹0.02 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹16701.02 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में भ्रमण दौरों के किए जाने और कम संख्या में डिजिटल उपकरणों की खरीद होने के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल" – ₹905.34 लाख की बचत (₹50.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3292.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए पदधारियों की भर्ती/नए पदधारियों के द्वारा पदभार ग्रहण करने में विलंब होने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किए जाने कारण हुई।

(ग) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹812.22 लाख की बचत (₹10.00 लाख की पूरक अनुदान सहित ₹3026.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भर्ती प्रक्रिया/नए पदधारियों के द्वारा कार्यभर ग्रहण करने में विलंब होने, कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होने और कम संख्या में भ्रमण दौरे किए जाने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एन. ए. सी. पी.)" – ₹1215.08 लाख की बचत (₹5.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1344.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की कम आवाजाही होने और बुलेट व हथियारों/गोलाबारूद सामग्री की खरीद नहीं किए जाने के कारण हुई।

(गा) "आपराधिक जांच और सतर्कता" –

(क) "केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹728.22 लाख की बचत (₹0.01 लाख की सांकेतिक पूरक

(B) "Education and Training" -

(a) "National Police Academy" - saving of ₹1239.37 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16701.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh) was due to less tours undertaken and less procurement of digital equipment.

(b) "Central Detective Training School" - saving of ₹905.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3292.00 lakhs including supplementary grant of ₹50.00 lakhs) was due to delay in requirement/ joining of new incumbents and non-conduction of training courses.

(c) "Central Academy for Police Training" - saving of ₹812.22 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3026.00 lakhs including supplementary grant of ₹10.00 lakhs) was due to delay in recruitment process/joining of new incumbents, conduction of less training courses and less tours undertaken.

(d) "National Academy of Coastal Policing (NACP)" - saving of ₹1215.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1344.00 lakhs including token supplementary grant of ₹5.00 lakhs) was due to less movement of vehicles and non-procurement of bullets & Arms/ Ammunition materials.

(C) "Criminal Investigation and Vigilance" -

(a) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹728.22 lakhs (against the total

अनुदान सहित ₹5870.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में भ्रमण दौरों के किए जाने, कम संख्या में विज्ञापन/ प्रकाशन किए जाने, छात्रवृत्ति अनुरोधों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "निर्भया निधि द्वारा वित्तपोषित स्कीमें" – ₹3207.79 लाख की कुल बचत (₹5213.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के पूरा नहीं होने और विज्ञापन/प्रकाशन से संबंधित कार्यों के नहीं होने के कारण हुई।

(ग) "अंतर प्रचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन" – ₹52401.13 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹59060.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(घ) "आपातकालीन अनुक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" – ₹12208.51 लाख की बचत (₹22100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "अपराध विज्ञान क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना" – ₹52305.57 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) "जेलों का आधुनिकीकरण" – ₹16304.74 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(घा) "विशेष पुलिस" –

(क) "अनुसंधान" – ₹7501.00 लाख की बचत (₹77500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदात्मक बाध्यताओं के पूरा नहीं होने और

sanctioned provision of ₹5870.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to less tours undertaken, less advertisement/publishing, non-receipts of scholarship request.

(b) "Schemes financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹3207.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5213.00 lakhs) was due to non-completion of training courses and non-advertising/publishing related works.

(c) "Implementation of Inter Operable Criminal Justice System" - saving of ₹52401.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹59060.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh);

(d) "Emergency Response Support System (ERSS)" - saving of ₹12208.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22100.00 lakhs);

(e) "Scheme for Modernisation of Forensic Capacities" - saving of ₹52305.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs); and

(f) "Modernisation of Prisons" - saving of ₹16304.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less claims from States/UTs.

(D) "Special Police" -

(a) "Research" - saving of ₹7501.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹77500.00 lakhs) was due to non-

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संविदाओं के माइलस्टोन भुगतान में विलंब होने के कारण हुई।

fructification of contractual obligations and delay in milestone payments of various contracts related to National Security.

(ख) "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" – ₹6769.00 लाख की बचत (₹9440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों को काम पर नहीं लिए जाने और अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने के कारण निधियों को निर्गत नहीं किए जाने और कम संख्या में दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(b) "Indian Cyber Crime Coordination Centre" - saving of ₹6769.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9440.00 lakhs) was due to non-hiring of officials, non-release of funds owing to availability of unspent balance and receipt of less claims.

(ङ) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹7134.06 लाख की बचत (₹0.02 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹121942.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के नहीं भरे जाने, राशन मनी के लिए कम संख्या में दावों की प्राप्ति होने और किराए संबंधी मुआवजे के लिए कुछ न्यायालय मामलों का निपटारा नहीं होने के कारण हुई।

(E) "National Security Guard - Establishment" - saving of ₹7134.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹121942.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh) was due to non-filling of vacant posts, receipt of less claims for Ration money and non-finalization of some court cases for rental compensation.

(चा) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन और प्रशासन" – ₹12490.00 लाख की बचत (₹1.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1372810.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुध अधिप्राप्ति के मामले को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण हुई।

(F) "Industrial Security Force - Direction and Administration" - saving of ₹12490.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1372810.05 lakhs including token supplementary grant of ₹1.05 lakhs) was due to non-materialisation of procurement of ordanance stores and non-filling up of vacant posts.

(छा) "वायरलेस और कंप्यूटर – राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो" – ₹867.13 लाख की बचत (₹0.01 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5374.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या के दौर किए जाने और उपकरणों की अधिप्राप्ति को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(G) "Wireless and Computers - National Crime Records Bureau" - saving of ₹857.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5374.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to less tours undertaken and non-materialisation of procurement of equipment.

(जा) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण – एल. डब्ल्यू. ई. प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता" – ₹4608.01 लाख की बचत (₹14543.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का अत्यधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई।

(H) "Modernisation of Police Force - Assistance to Central Agencies for LWE Management" - saving of ₹4608.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14543.00 lakhs) was due to inadvertent provision of funds.

(झा) "सीमा प्रबंधन" –

(क) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – प्रशासनिक व्यय" – ₹1399.54 लाख की बचत (₹1432.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और कुछ मदों की अधिप्राप्ति नहीं किए जाने के करण हुई।

(ख) "सीमा अवसंरचना और प्रबंधन कार्य" – ₹528.55 लाख की बचत (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमान की तुलना में कम कार्य होने के कारण हुई।

(त्र) "अन्य व्यय" –

(क) "आंसू गैस सामग्री की खरीद, विनिर्माण और वितरण" – ₹1214.37 लाख की बचत (₹5552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामग्री की खरीद को मूर्त रूप नहीं दिए जाने, कर्मचारियों को नहीं रखने, आपूर्ति नहीं होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य सरकारों/विभागों को अदा किए गए शुल्क" – ₹2043.59 लाख की बचत (₹2370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवसायियों को नहीं रखने और पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) "निर्भया निधि परियोजना" – ₹3044.80 लाख की बचत (₹3070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम यात्रायें किए जाने और विज्ञापन/प्रकाशन संबंधी कार्य पर निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(I) "Border Management" -

(a) "Border Area Development programme - Administrative expenses" - saving of ₹1399.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1432.00 lakhs) was due to non-materialization of some proposals and non-procurement of various items.

(b) "Border Infrastructure & Management Works" - saving of ₹528.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs) was due to less works than anticipated.

(J) "Other Expenditure"

(a) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹1214.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5552.00 lakhs) was due to non-materialization of procurement of materials, non-hiring of officials and supplies and slow pace of works.

(b) "Charges paid to other Government/ Departments" - saving of ₹2043.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2370.00 lakhs) was due to non-hiring of professionals and availability of unspent balance of previous year.

(c) "Nirbhaya Fund Project" - saving of ₹3044.800 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3070.00 lakhs) was due to less tours undertaken and less advertising/ publishing related works.

(V) Under Major Head "3601"-savings occurred under the following heads: -

(का) "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹75622.92 लाख की बचत (₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹193464.33 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्यों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने और व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ख) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹37134.75 लाख की बचत (₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹54849.33 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि द्वारा वित्त पोषित योजना" – ₹82980.34 लाख की बचत (₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹93215.34 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – योजना निर्भया निधि द्वारा वित्तपोषित" – ₹12830.00 लाख की बचत (₹17080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना पूरी नहीं होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹479.87 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत है।

3. उपर्युक्त बचत आंशिक रूप से (₹328276.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹43911.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(A) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share"-

(a) "Modernisation of Police Forces" - saving of ₹75622.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹193464.33 lakhs including token supplementary grant of ₹0.33 lakh) due to receipt of less claims from States/UTs and slow pace of expenditure.

(b) "Border Area Development Programme" - saving of ₹37134.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹54849.33 lakhs including token supplementary grant of ₹0.33 lakh) was due to receipt of less claims from States/UTs and availability of unspent balance.

(B) "Other Transfer/Grants to State -Special Assistance" - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹82980.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹93215.34 lakhs including token supplementary grant of ₹0.34 lakh) was due to receipt of less claims from States/UTs.

(VI) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹12830.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17080.00 lakhs) was due to non-completion of project.

(VII) Under one head saving of ₹479.87 lakhs occurred, constituting 30 percent of the sanctioned provision.

3. The above saving were partly (₹328276.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹43911.00 lakhs under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2055" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "आप्रवासन ब्यूरो" – ₹8344.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5142.25 लाख हुआ।

(ii) "नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो" – ₹1327.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय – ₹726.74 लाख हुआ।

(iii) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" – ₹4703 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3773.00 लाख हुआ।

(ख) "शिक्षा और प्रशिक्षण – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय" – ₹3000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2799.98 लाख हुआ।

(ग) "असम राइफ़ल्स – स्थापना और प्रशासन" – ₹20801.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹16874.43 लाख हुआ।

(घ) "सीमा सुरक्षा बल" –

(i) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹57799.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹52615.49 लाख हुआ।

(ii) "भारत तिब्बत सीमा बल" – ₹37724.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹31917.61 लाख हुआ।

(ङ) "पुलिस कर्मी कल्याण – केंद्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान" – ₹79800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹79273.67 लाख हुआ।

(A) Major Head "2055" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Bureau of Immigration" - ₹8344.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5142.25 lakhs.

(ii) "Narcotics Control Bureau" - ₹1327.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹726.74 lakhs.

(iii) "National Investigation Agency" - ₹4703.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3773.00 lakhs.

(b) "Education and Training - Rashtriya Raksha University" - ₹3000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2799.98 lakhs.

(c) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - ₹20801.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹16874.43 lakhs.

(d) "Border Security Force" -

(i) "Directorate General of Border Security Force" - ₹57799.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹52615.49 lakhs.

(ii) "Indo-Tibetan Border Police" - ₹37724.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹31917.61 lakhs.

(e) "Welfare of Police Personnel - Welfare Grant to Central Police Organizations" - ₹79800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹79273.67 lakhs.

(च) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" –

(i) "राज्य पुलिस संगठनों को माल के रूप में सहायता" – ₹1755.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹460.14 लाख हुआ।

(ii) "सुरक्षा परिवेश" – ₹600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹597.92 लाख हुआ।

(छ) "विशेष संरक्षण ग्रुप – स्थापना" – ₹3474.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹2254.54 लाख हुआ।

(ज) "दिल्ली पुलिस – निदेशन और प्रशासन" – ₹28781.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹25001.86 लाख हुआ।

(झ) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹17784.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹17438.48 लाख हुआ।

(ञ) "सीमा प्रबंधन – भारतीय भू पत्तन प्राधिकरण को अनुदान" – ₹20450.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹20210.30 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – पुलिस संबंधी व्यय के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति" – ₹891.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹421.00 लाख हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹41043.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹40563.45 लाख हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में समग्र बचतें (*₹538.70 लाख*) दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए *₹90.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक थीं और कुल

(f) "Modernisation of Police Force" -

(i) "Assistance to State Police Organisation in Kind" - ₹1755.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹460.14 lakhs.

(ii) "Security Environment" - ₹600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹597.92 lakhs.

(g) "Special Protection Group - Establishment" - ₹3474.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2254.54 lakhs.

(h) "Delhi Police" - "Direction and Administration" - ₹28781.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹25001.86 lakhs.

(i) "Sashastra Seema Bal - Establishment" - ₹17784.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹17438.48 lakhs.

(j) "Border Management - Grants to Land Port Authority of India" - ₹20450.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹20210.30 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance - Grant/Re-imbursement for Police Related Expenses" - ₹891.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹421.00 lakhs.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernization of Police Forces" - ₹41043.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹40563.45 lakhs.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹538.70 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹90.00*

स्वीकृत *विनियोग* का 83 प्रतिशत थीं।

lakhs obtained in December, 2023 and constituted 83 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्न अनुसार हुईः–

Savings occurred as under: -

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत *₹157.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹157.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹290.69 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 97 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of *₹290.69 lakhs* occurred constituting 97 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

5. In the voted portion of the capital section of the grant savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	1132646.00			
पू.	S.	2.00	1039088.00	985777.87	-53310.13
पु.	R.	-93560.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	51284.00			
			..	..	..
पु.	R.	-51284.00			

(I) 13 शीर्षों के अंतर्गत ₹51286.05 लाख का अनुदान (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹51284.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गएः

(I) Provision of ₹51286.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under thirteen heads; of these ₹51284.00 lakhs accounted for under major head "4552" under the following heads: -

(का "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–असम राइफ़ल्स" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹6884,00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹7000.00 लाख;

(खा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सीमा सुरक्षा बल"–

(क) "आवासीय भवन" – ₹5000,00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹6000.00 लाख;

(गा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सशस्त्र सीमा बल"–

(क) "आवासीय भवन" – ₹7000,00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹10000.00 लाख;

(घा) "भारत तिब्बत सीमा पुलिस" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹1400.00 लाख; और

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹2000.00 लाख;

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को विनियोग किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(डा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹3000,00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹3000.00 लाख;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) "Capital Outlay on Police - Assam Rifles" -

(a) "Residential Building" - ₹6884.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹7000.00 lakhs;

(B) "Capital Outlay on Police - Border Security Force" -

(a) "Residential Building" - ₹5000.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹6000.00 lakhs;

(C) "Capital Outlay on Police - Sashastra Seema Bal" -

(a) "Residential Building" - ₹7000.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹10000.00 lakhs;

(D) "Indo Tibetan Border Police"-

(a) "Residential Building" - ₹1400.00 lakhs; and

(b) "Office Building" - ₹2000.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(E) "Capital Outlay on Police - Central Reserve Police Force"-

(a) "Residential Building" - ₹3000.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹3000.00 lakhs;

Provision under the above two heads remained unutilized due to slow progress of work.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹28650.63 लाख की बचत (₹50600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आवासीय भवन" – ₹20947.88 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के के कारण हुई।

(ग) "आधुनिकीकरण" – ₹3121.03 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5000.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थर्मल वेपन साइट (नियमित और मिनिएचर), ड्राइवर नाइट साइट और प्लास्टिक शील्ड की खरीद नहीं हो पाने के कारण हुई।

(खा) "सीमा सुरक्षा बल" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹233639.74 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.07 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹116258.07 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, आयुध निर्माणियों से आपूर्ति प्राप्त नहीं हो पाने और सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) "भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹9815.57 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹69579.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कार्य पूरा नहीं किए जाने/कार्य की धीमी प्रगति होने और तकनीकी

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹28650.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50600.00 lakhs); and

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹20947.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs).

Savings under the above two head were due to slow pace of construction work.

(c) "Modernisation" - saving of ₹3121.03 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5000.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2023) was due to non-procurement of Thermal Weapon Sight (regular & miniature), Driver Night Sight and plastic shield.

(B) "Border Security Force" -

(a) "Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹23639.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹116258.07 lakhs including token supplementary grant of ₹0.07 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalization of construction works, non-receipt of supply from ordnance factories and slow pace of work by CPWD.

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - saving of ₹9815.57 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹69579.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in December, 2023) was due to non-completion/slow pace work by CPWD

उपकरणों की कम मात्रा में खरीद किए जाने के कारण हुई।

(गा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹5479.77 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी उद्यमिता और नवोन्मेष मास्टर (एम. टी. ई. आई.) में प्रस्तावित कार्यों को और एम. टी. ई. एफ़. (फ़्लूड रखरखाव परीक्षण उपकरण) में प्रस्तावित कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "सामान्य" – ₹2078.40 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7007.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एच. एच. टी. आई. (कूल्ड), पी. एन. वी. मोनोक्यूलर को मूर्त रूप देने के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "आधुनिकीकरण" – ₹913.21 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हैंड हेल्ड बैलिस्टिक के लिए निविदा पूरी नहीं हो पाने के कारण हुई।

(घ) "आवासीय भवन" – ₹2623.41 लाख की बचत (₹2850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने और नए कार्य के लिए अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के करण हुई।

(घा) "औद्योगिक सुरक्षा बल" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹4040.11 लाख की बचत (₹8068.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यकलापों को पूरा नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹6051.16 लाख की बचत (₹8001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

and less procurement of technical equipments.

(C) "National Security Guard"-

(a) "Office Buildings" - saving of ₹5479.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-finalization of work proposed in Master of Technology Entrepreneurship and innovation (MTEI) and Works proposed in MTEF (Fluid Maintenance Test Equipment).

(b) "General" - saving of ₹2078.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7007.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalisation of tender for materialization of HHTI (cooled), PNV monocular and non-finalization of procurement proposals.

(c) "Modernisation" - saving of ₹913.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to non-completion of tender for Hand Held Ballistic.

(d) "Residential Buildings" - saving of ₹2623.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2850.00 lakhs) was due to slow progress of work and delay in approval of new work.

(D) "Industrial Security Force"-

(a) "Office Buildings" - saving of ₹4040.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8068.00 lakhs) was due to non-completion of various construction activities by CPWD.

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹6051.16 lakhs (against the sanctioned

बारापोला में सी. एस. आई. आई. डी. सी. के फ़्लैट को खरीदने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "सामान्य" – ₹3392.87 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14244.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हथियारों और अन्य तकनीकी उपकरणों की कम मात्रा में खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "विशेष संरक्षण ग्रुप – सामान्य" – ₹2095.00 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गत ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7700.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कम मात्र में हथियारों और अन्य तकनीकी उपकरणो की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(चा) "विशेष पुलिस – निर्भया निधि से वित्त पोषित योजनायें" – ₹2218.54 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3500.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(छा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹1754.55 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3406.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य पूरे नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल" – ₹945.09 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1869.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और आई. टी. उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव

provision of ₹8001.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of DSIIDC flats at Barapola.

(c) "General" - saving of ₹3392.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14244.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2023) was due to less procurement of weapons and other technical equipments.

(E) "Special Protection Group - General" - saving of ₹2095.00 lakhs (against the total sactioned provision of ₹7700.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalization of proposals for purchase of vehicles and procurement of less weapons and other technical equipments.

(F) "Special Police - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹2218.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3500.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2023) was due to slow pace of work.

(G) "Research, Education and Training" -

(a) "National Police Academy" - saving of ₹1754.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3406.01 lakhs including token supplementary grant of 0.01 lakh obtained in December, 2023) was due to non-completion of various construction works.

(b) "Central Detective Training School" - saving of ₹945.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1869.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalisation of proposals for

को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

construction work and non-materialisation of procurement of IT equipments.

(ग) "पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" – ₹742.15 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1293.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(c) "Bureau of Police Research and Development" - saving of ₹742.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1293.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2023) was due to slow progress of work.

(घ) "नार्थ ईस्टर्न पुलिस अकाद्मी" – ₹1311.65 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1708.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा विभिन्न मेस और प्रशिक्षण ब्लाकों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण हुई।

(d) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹1311.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1708.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in December, 2023) was due to non-completion of construction work of various Mess and Training Blocks by CPWD.

(जा) "दिल्ली पुलिस" –

(H) "Delhi Police" -

(क) "दिल्ली पुलिस – भवन कार्यक्रम" – ₹16400.00 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और परियोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Delhi Police Building Programme" - saving of ₹16400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals and non-finalization of projects.

(ख) "दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹2907.34 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹101242.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मात्रा में तकनीकी उपकरणों की खरीद किए जाने के कारण हुई ।

(b) "Modernisation of Traffic & Communication Network of Delhi Police" - saving of ₹2907.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹101242.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2023 and February, 2024) was due to less procurement of technical equipment.

(झा) "सशस्त्र सीमा बल" –

(I) "Sashastra Seema Bal"-

(क) "कार्यालय भवन" – ₹11979.84 लाख की बचत (₹18500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई ।

(a) "Office Building" - saving of ₹11979.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18500.00 lakhs) was due to non-finalisation of some projects.

(ख) "आवासीय भवन" – ₹12005.92 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप दिए जाने में देरी होने के कारण हुई।

(ग) "बार्डर आउट पोस्ट" – ₹2289.68 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के करण हुई।

(घ) "सामान्य" – ₹6641.94 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गत ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18212.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा संबंधी बाध्यतायें फ़लीभूत नहीं होने और भुगतान किए जाने में देरी होने के कारण हुई।

(ञ) "सीमा प्रबंधन – सीमा अवसंरचना और प्रबंधन कार्य" – ₹5663.31 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गत ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹277724.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना संबंधी कुछ कार्य पूरे नहीं हो पाने और कुछ मदों की खरीद नहीं हो पाने के कारण हुई।

(टा) "अन्य पुलिस संगठन" –

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस)" – ₹1428.68 लाख की बचत (₹1753.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फ़र्नीचर और फ़िक्चर की खरीद नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "आंसू गैस सामग्री की खरीद, विनिर्माण और वितरण" – ₹1351.86 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2054.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम लागत वाले सीमित स्वचालित ड्राइव के अंतर्गत आंसू गैस सामग्री की खरीद नहीं किए जाने के कारण हुई।

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹12005.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to delay in materialization of proposals.

(c) "Border Out Posts" - saving of ₹2289.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-finalization of construction proposals.

(d) "General" - saving of ₹6641.94 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18212.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in December, 2023) was due to non-fructification of contractual obligations and delay in payments.

(J) "Border Management - Border Infrastructure & Management Works" - saving of ₹5663.31 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹277724.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakhs obtained in December, 2023) was due to non-completion of some infrastructural works and non-procurement of various items.

(K) "Other Police Organization" -

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹1428.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1753.00 lakhs) was due to non-procurement of furniture and fixtures.

(b) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹1351.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2054.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2023) was due to non-procurement of tear smoke material under low cost limited automation drive.

(ग) "केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹2087.18 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3041.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद के प्रस्तावों को मूर्त रूप दिए जाने में देरी होने के कारण हुई।

(घ) "केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सी.बी.आई.)" – ₹718.25 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹880.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में तकनीकी उपकरणों की खरीद नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "अनुसंधान" – ₹34100.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फ़ील्ड फ़ार्मेशन द्वारा कम मात्रा में मांग किए जाने और कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों द्वारा संविदागत उपब्धियां हासिल नहीं किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹386.93 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान की 32 प्रतिशत है।

6.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹76178.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस – सामान्य" – ₹17176.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15392.41 लाख हुआ।

(खा) "असम राइफ़ल्स" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹2250.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2249.92 लाख हुआ।

(c) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹2087.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3041.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2023) was due to delay in materialization of procurement proposals.

(d) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" - saving of ₹718.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹880.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2023 and February, 2024) was due to procurement of less technical equipments.

(e) "Research" - saving of ₹34100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to less demand by field formation and non-accomplishment of contract milestones by implementing agencies.

(III) Under one head saving of ₹386.93 lakhs occurred constituting 32 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (₹76178.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police - General" - ₹17176.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15392.41 lakhs.

(B) "Assam Rifles"-

(a) Office Buildings" - ₹2250.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2249.92 lakhs.

(ख) “आवासीय भवन” – ₹2305.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2296.70 लाख हुआ।

(b) “Residential Buildings” - ₹2305.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2296.70 lakhs.

(ग) “सीमा आउट पोस्ट” – ₹3877.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3876.98 लाख हुआ।

(c) “Border Out Post” - ₹3877.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3876.98 lakhs.

(घ) “सामान्य” – ₹5883.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5878.58 लाख हुआ।

(d) “General” - ₹5883.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5878.58 lakhs.

(ड) “आधुनिकीकरण” – ₹701.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹699.99 लाख हुआ।

(e) “Modernisation” - ₹701.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹699.99 lakhs.

(गा) “दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस आवासन के बारे में सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल” – ₹550.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹518.12 लाख हुआ।

(C) “Delhi Police - Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing” - ₹550.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹518.12 lakhs.

(घा) “सशस्त्र सीमा बल – आधुनिकीकरण” – ₹277.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹275.81 लाख हुआ।

(D) “Sashastra Seema Bal - Modernisation” - ₹277.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹275.81 lakhs.

(डा) “अन्य पुलिस संगठन” –

(E) “Other Police Organisation” -

(क) “राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो” – ₹2025.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1205.23 लाख हुआ।

(a) “National Crime Records Bureau” - ₹2025.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1205.23 lakhs.

(ख) “आसूचना ब्यूरो” – ₹37395.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹36266.53 लाख हुआ।

(b) “Intelligence Bureau” - ₹37395.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹36266.53 lakhs.

(ग) “राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो” – ₹3739.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2314.98 लाख हुआ।

(c) “National Investigation Agency” - ₹3739.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2314.98 lakhs.